वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन
नई दिल्ली

सरकार के लिए प्रश्नावली

(सब्सिडीरोधी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच)

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

ई मेल : moc_antidump@nic.in

खंड–क

प्रश्नावली को पूरा करने के लिए सामान्य निर्देश

1. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम (समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 9, 9ख और 9ग तथा इसके अंतर्गत बनाई गई सीमाशुल्क टैरिफ (सब्सिडीकृत वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 (समय–समय पर यथासंशोधित) सब्सिडीरोधी जांच और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने के लिए विधिक आधार बनाते हैं । ये कानून सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपाय संबंधी करार तथा गैट–1994 के अनुच्छेद VI और XVI पर आधारित हैं ।

2. सब्सिडी, क्षति और कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य अंतर्विष्ट करते हुए घरेलू उद्योग से एक आवेदन की प्राप्ति पर निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यातक देश की सरकार के साथ जांच शुरूआत से पूर्व के विचार–विमर्श करने के पश्चात जांच की शुरूआत करते हैं । इस मामले की प्रारंभिक और/या अंतिम जांच परिणाम रिकॉर्ड करने से पहले जांच की गई है। जांच की प्रक्रिया में ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों, ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों, निर्यातक देश की सरकार, आयातकों और आवेदकों से एक प्रश्नावली के जरिए विभिन्न मापदंडों संबंधी सूचना प्राप्त करना और यदि आवश्यक हो तो उनका सत्यापन करना शामिल है ।

3. प्रश्नावली का उद्देश्य निर्दिष्ट प्राधिकारी को वर्तमान जांच के लिए आवश्यक समझी गई सूचना प्राप्त करने में सक्षम बनाना है । निम्नलिखित प्रश्नावली को पूरा करने के प्रयास से पहले आपसे इसके कवरिंग पत्र को सावधानी पूर्वक पढ़ने का अनुरोध किया जाता है।

4. इस प्रश्नावली में संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों और/या निर्यातकों के पास उपलब्ध कथित सब्सिडियों संबंधी सूचना का अनुरोध किया गया है । प्राधिकारी ऐसे किसी अन्य सब्सिडी कार्यक्रम की भी जांच करेंगे जिससे संबद्ध देश में संबंधित उत्पाद के उत्पादकों और/या निर्यातकों को लाभ होता हो ।

5. आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया जाता है कि इस प्रश्नावली में विशिष्ट रूप से अनुरोध नहीं किए गए दस्तावेजों सहित सभी प्रश्नों का यथासंभव सही और पूरा उत्तर देना तथा सभी संगत समर्थनकारी दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है । किसी भी प्रश्न या खंड को खाली ना छोड़ें । यदि किसी प्रश्न का उत्तर ''कोई नहीं '' है तो ''कोई नहीं'' लिखें । कुछ प्रश्नों में बताने या स्पष्टीकरण जैसे उत्तर अपेक्षित हैं । उस प्रश्न को स्पष्टतः दर्शाएं जिसका उत्तर दिया जा रहा है । **प्रश्नों का उत्तर प्रश्नावली में प्रस्तुत क्रम के अनुसार दें ।**

6. यदि कवरिंग पत्र में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा अनुरोध की गई समस्त सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो संबंधित नियमों के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रारंभिक या अंतिम निर्धारण किया जा सकता है । सभी प्रयोज्य प्रश्नों का उत्तर नहीं देने पर कड़े सांविधिक समय संबंधी अनुरोधों के कारण हमें आपको पूरक प्रश्नावली उपलब्ध कराए बिना अन्य स्रोतों से उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना का प्रयोग करने को बाध्य होना पडेगा । यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी पाते हैं कि किसी हितबद्ध पक्षकार ने गलत या गुमराह करने वाली सूचना दी है तो वह ऐसी सूचना को नजरअंदाज कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों का प्रयोग कर सकते हैं ।

7. सब्सिडी की राशि जांच शुरूआत संबंधी सूचना में विर्निदिष्ट जांच अवधि के लिए निर्धारित की जाएगी ।

8. सूचना और समर्थकारी साक्ष्य यहां नीचे यथाउल्लिखित जहां उचित हो, गोपनीय आधार पर दिए जा सकते हैं । सूचना को गोपनीय मानने का अनुरोध करने वाले पक्षकारों को गोपनीय माने जाने वाली सूचना की स्पष्ट पहचान करनी चाहिए और गोपनीय मानने के अनुरोध हेतु औचित्य उपलब्ध कराना चाहिए । निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर गोपनीय व्यवहार के लिए अनुरोध की गई सूचना का अगोपनीय अंश या अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराया जाए । यदि यह दावा किया जाता है कि सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है तो उन कारणों का एक विवरण अवश्य उपलब्ध कराया जाए जिनकी वजह से सारांश संभव नहीं है । अगोपनीय अंश में मूल को पुनः प्रस्तुत किया जाना चाहिए परंतु गोपनीय मानी जाने वाली सूचना को या तो मिटा दिया जाए या सूचीबद्ध/सारांश कर दिया जाए । यह नोट किया जाना चाहिए कि यदि गोपनीय आधार पर कोई अन्य अनुरोध किया जाता है तो ऐसे अनुरोध का अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

9. इस प्रकार दी गई गोपनीय सूचना या अगोपनीय अंश उचित ढंग से दस्तावेजित/सूचीबद्ध होना चाहिए । गोपनीय सूचनाओं वाले प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ के ऊपर दांए कोने पर ''गोपनीय'' अवश्य लिखा होना चाहिए ।

10. कृपया दिए गए उत्तर/अनुरोध के गोपनीय अंश की दो प्रतियां और अगोपनीय अंश की 5 प्रतियां उपलब्ध कराएं । सभी लिखित सूचना/स्पष्टीकरण आदि को अधिमानतः एम एस वर्ल्ड फाइल में और सभी प्रारूपों/परिशिष्टों को एम एस एक्सल फार्मेट में दो वायरस मुक्त सीडी में तथा मुद्रित प्रति में भी उपलब्ध कराएं (प्रारंभिक उत्तर के समय तथा सुनवाई/प्रत्युत्तर के बाद के उत्तर/लिखित अनुरोधों के दौरान) ।

11. यदि आपको प्रश्नावली के सभी या किसी एक भाग को भरने में कोई कठिनाई होती है या पूछे गए किसी प्रश्न पर स्पष्टीकरण अपेक्षित होता है तो प्रश्नावली की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर निर्दिष्ट प्राधिकारी से सामने आई कठिनाइयों या अपेक्षित स्पष्टीकरण (स्पष्टीकरणों) को बताते हुए संपर्क करना चाहिए ।

12. अपने प्रत्येक उत्तर में कृपया अपनी सूचना का स्रोत बताएं । कृपया स्रोत से प्राप्त किसी सामग्री की प्रतियां भी उपलब्ध कराएं । इसमें शामिल हैं परंतु सीमित नहीं हैं, कोई कानून, डिग्री, विनियमन, नीति विवरण या अन्य प्रशासनिक दिशा निर्देश । प्रत्येक मामले में प्रश्नावली में उल्लिखित प्रत्येक कार्यक्रम से संबंधित निर्णयों को अंतरनिहित करने वाले मापदंडों का प्रयोज्य विधायी इतिहास तथा अन्य वर्णनात्मक सामग्री या स्पष्टीकरण शामिल होना चाहिए । ऐसे प्रत्येक आवेदक का एक नमूना जिसे प्रत्येक कार्यक्रम में भागीदारी के लिए किसी उद्यम को पूरा करना होगा, भी शामिल किया जाना चाहिए । कृपया इस जांच से संगत सभी दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद करें । अंग्रेजी अनुवाद के बिना किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा ।

13. निर्दिष्ट प्राधिकारी इस प्रश्नावली में प्रदत्त संगत रिकॉर्डों की जांच करने और सूचना का सत्यापन करने के लिए सत्यापन दौरा कर सकते हैं । इस प्रश्नावली के उत्तर में सभी आंकड़े सत्यापन के अधीन हैं । सत्यापन में आपको यहां प्रस्तुत समस्त सूचना को सही साबित करने के लिए तैयार रहना चाहिए । समस्त प्रस्तुत दस्तावेजों के लिए मूल स्रोत की सामग्री सत्यापन दौरे के समय उपलब्ध होनी चाहिए । आपके उत्तर के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेज जांच के दौरान मांगे जा सकते हैं । प्रश्नावली का उत्तर देने में प्रयुक्त सभी कार्यशीटों को सत्यापन के प्रयोजन हेतु अवश्य अपने पास रखना चाहिए ।

14. इस प्रश्नावली में संबद्ध देश में इस जांच के अधीन विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों या निर्यातकों को उपलब्ध स्कीमों/कार्यक्रम के बारे में सूचना देने का अनुरोध किया जाता है । निदेशालय के लिए इस जांच की प्रक्रिया के दौरान पाई गई ऐसी किसी स्कीम/कार्यक्रम की जांच करना भी अपेक्षित है जिससे संबद्ध वस्तु के विनिर्माण, उत्पादन या निर्यात पर प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी प्राप्त होती हो ।

15. सभी राशियों को उसी मुद्रा में दर्शाया जाना चाहिए जिसमें वह मूल रूप से अंकित हो ।

16. यदि आपका इरादा अपनी ओर से किसी अन्य पक्षकार अर्थात किसी कानूनी फर्म को प्रतिनिधि बनाने का है तो कृपया यह सुनिश्चित करें कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को पावर ऑफ अर्टानी या प्राधिकार पत्र प्राप्त हो जाए ।

खंड– ख

<u>सामान्य प्रश्न</u>

1. संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के सभी उत्पादकों, विनिर्माताओं या निर्यातकों (निर्यात व्यापार उद्यमों तथा इसी प्रकार के संगठनों सहित) के नाम और पते उपलब्ध कराएं । ये ''जांचाधीन उद्यम'' हैं ।

2. यदि सरकार या सरकार के नियंत्रण के अधीन कोई सार्वजनिक या निजी कंपनी किसी जांचाधीन उद्यम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व संबंधी हित रखती है तो सरकार के हित के प्रतिशत के साथ ऐसे उद्यमों की सूची और ऐसे हितों की प्रकृति के संबंध में संगत ब्यौरे उपलब्ध कराएं ।

3. उद्यम पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर दोनों के संबंध में यथाप्रयोज्य जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश में कर प्रणाली का विवरण उपलब्ध कराएं । ऐसे प्रत्येक कर के प्रकार, की प्रकृति, प्रचालन और दर संबंधी ब्यौरे दें जिसके अधीन जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश में उद्यम है। उपर्युक्त के संबंध में किसी कानून या अन्य विनियम के संगत हिस्से का अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध कराएं ।

4. सरकार के नियंत्रण के अधीन ऐसे किसी सार्वजनिक या निजी कंपनी सहित ऐसे सभी सरकारी संस्थानों के नाम और पते उपलब्ध कराएं जो संबद्ध देश में इस क्षेत्र के उद्यमों को कोई वित्तीय अंशदान प्रदान करते हों ।

5. कृपया टैरिफ अनुसूची संख्याएं उपलब्ध कराएं जो संबद्ध देश के लिए आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण के संगत हों । इन संख्याओं द्वारा शामिल उत्पादों पर लागू सरकारी विवरण उपलब्ध कराएं ।

6. कृपया संबद्ध देश के केन्द्रीय बैंक की पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराएं या यदि वह उपलब्ध न हो तो सबसे हाल में प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराएं ।

खंड–ग सब्सिडियां

I. सब्सिडियां : सामान्य

आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों को अनेक सब्सिडियों का लाभ मिला है और ये सब्सिडियां संगत अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडियों की परिभाषा के भीतर आती हैं ।

कृपया इस प्रश्नावली और/या जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में सूचीबद्ध सभी सब्सिडियों के सबंध में मांगी गई समस्त सूचना तथा उपलब्ध अन्य संगत सूचना भी उपलब्ध कराएं ।

II. कार्यक्रम विशिष्ट प्रश्न

निम्नलिखित प्रत्येक कार्यक्रम के लिए चाहे जांच अवधि के दौरान उस कार्यक्रम के लिए जांचाधीन किसी उद्यम ने आवेदन नहीं किया हो, प्रयोग नहीं किया हो या उससे लाभान्वित नहीं हुआ हो तो भी संबद्ध देश की सरकार को उस कार्यक्रम के बारे में अवश्य बताना चाहिए और विस्तृत विवरण उपलब्ध कराना चाहिए तथा उस कार्यक्रम के संबंध में रखे गए रिकॉर्डों को विस्तार से बताना चाहिए । इसके अलावा, संबद्ध देश की सरकार को यह अवश्य इंगित करना चाहिए कि क्या कतिपय उद्यमों को उस कार्यक्रम की पहुंच से बाहर रखा जाता है और बाहर रखने के आधार शर्तों और मापदंडों को भी बताएं अन्यथा कृपया सूचीबद्ध प्रश्नों के उत्तर दें ।

निर्दिष्ट प्राधिकारी इस समय के दौरान सब्सिडियों के कतिपय प्रकारों से प्राप्त लाभों को आवंटित कर सकते हैं । यद्यपि, जांच अवधि हाल की अवधि है और प्राधिकारी नवीकरणीय भौतिक परिसंपत्तियों के औसत उपयोगी जीवन (ए यू एल) से संगत समयावधि के दौरान प्राप्त कथित सब्सिडी की जांच कर रहे हैं । इस जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी का इरादा 10 वर्ष के ए यू एल का प्रयोग करने का है । यदि कोई हितबद्ध पक्षकार यह साबित नहीं करता है कि अपेक्षाकृत लंबी या अल्प अवधि पर विचार किया जाना चाहिए । इस प्रकार प्राधिकारी जांच अवधि के दौरान और उससे पहले 9 वर्षों के दौरान प्राप्त कथित सब्सिडी की जांच कर रहे हैं ।

यदि कथित सब्सिडी उद्यम या उनके पूर्ववर्ती मूल उद्यम जिसका उसके बाद विलय कर दिया गया है या अन्य उद्यम द्वारा खरीद लिया गया है या उनकी परिसंपत्तियों के प्रमुख हिस्से को हस्तांतरित कर दिया गया है तो भी सरकार नीचे अनुरोध की गई सूचना को उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है । यदि पूर्ववर्ती मूल उद्यम को नीचे सूचीबद्ध किसी कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त हुई है तो कृपया उसे बताएं और अलग–अलग उत्तर दें ।

किसी कार्यक्रम जिसके अनेक वित्तपोषण स्रोत थे या जिसे भिन्न–भिन्न सरकारी स्तरों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा था, के लिए कृपया प्रत्येक प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा निभाई गई भूमिका संबंधी सूचना उपलब्ध कराएं ।

यदि किसी प्रश्न में अन्य प्राधिकारियों अर्थात स्थानीय सरकारों से सूचना अपेक्षित है तो सही स्रोत को प्रश्न अग्रेषित करें । तथापि, यह सुनिश्चित करना संबद्ध देश की सरकार की जिम्मेवारी है कि क्षेत्रीय कार्यक्रमों संबंधी प्रश्नों के पूरे और संपूर्ण उत्तर उचित क्षेत्रीय प्राधिकारी से प्राप्त किए जाएं ।

III. वह कार्यक्रम जिनके लिए संबद्ध देश की सरकार सूचना अवश्य उपलब्ध कराएं

कृपया नीचे उल्लिखित प्रत्येक कार्यक्रम के लिए निम्नानुसार सूचना उपलब्ध कराएंः–

क. इस प्रश्नावली में सूचीबद्ध "मानक प्रश्नों" के उत्तर
ख. जहां लागू हों, निम्नलिखित के उत्तर

i. अनुदान अनुबंध ।
ii. अल्पावधिक ऋण अनुबंध ।
iii. दीर्घावधिक ऋण अनुबंध ।
iv. ऋण गारंटी अनुबंध ।
v. कर कार्यक्रम अनुबंध ।
vi. इक्विटी अनुबंध ।
vii. वस्तु/सेवा संबंधी प्रावधान का उपबंध ।

कार्यक्रम विशिष्ट प्रश्न

संबद्ध देश की सरकार को निम्नलिखित प्रत्येक कार्यक्रम के लिए पृथक सूचना अवश्य उपलब्ध करानी चाहिए । याचिकाकर्ता द्वारा यथा कथित इनमें से प्रत्येक कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है । यदि किसी कार्यक्रम को वर्तमान जांच अवधि से पहले वापस ले लिया गया है तो इसके बारे में बताएं और कार्यक्रम का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराएं और उस कार्यक्रम के लिए रखे गए रिकॉर्डों का विस्तृत विवरण दें । यदि किसी कार्यक्रम को वर्तमान जांच अवधि के दौरान या उसके बाद समाप्त कर दिया गया है तो भी आपको प्रश्न का उत्तर देना होगा ।

1. प्रत्येक कार्यक्रम के लिए यदि जांच अवधि के दौरान किसी उद्यम ने उसके लिए आवेदन, उसका प्रयोग या उस कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं भी हुआ हो तो भी उस कार्यक्रम के

ब्यौरे उपलब्ध कराएं अन्यथा कृपया सूचीबद्ध प्रश्नों के उत्तर दें । प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत अनिवार्य रूप से बताई जाने वाली सूचना निर्धारित करने के लिए प्रश्नावली के इस खंड और संदर्भित अनुबंधों में प्रत्येक कार्यक्रम हेतु निर्देशों को देखें ।

2. प्रत्येक कार्यक्रम के लिए यदि उनमें से कुछको आवेदक ने सूचीबद्ध नहीं भी किया हो, चाहे संबद्ध देश की सरकार यह मानती हो कि कार्यक्रम प्रतिसंतुलन योग्य नहीं है तो भी आपको प्रश्नों का पूरा उत्तर देना चाहिए ।
3. यदि ऐसे किसी उद्यम को कार्यक्रम (कार्यक्रमों) के अंतर्गत कोई सहायता प्राप्त हुई है, जिसका उसके बाद विलय हो गया या अन्य उद्यम ने उसे खरीद लिया, तो विलय किए गए या खरीदे गए उद्यम को ऐसी सहायता के संबंध में प्रश्नों का कृपया उत्तर दें ।
4. पूरे उत्तर के अभाव में कोई निर्णय सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर आधारित होगा ।
5. प्रत्येक कार्यक्रम के लिए कृपया मानक प्रश्न अनुबंध ने सभी प्रश्नों और इस प्रश्नावली में संबंधित कार्यक्रम के लिए यथाप्रयोज्य दिए गए सभी अन्य अनुबंधों का उत्तर दें ।
6. प्रत्येक कार्यक्रम के लिए संबद्ध देश की सरकार यह अवश्य बताए कि क्या कतिपय उद्यमों को उस कार्यक्रम की पहुंच से बाहर रखा जाता है और इस प्रकार बाहर रखने के आधार, शर्तों और मापदंडों के बारे में बताएं ।
7. विभाग के लिए जांच की प्रक्रिया के दौरान पाए गए ऐसे किसी कार्यक्रम की जांच करना भी अपेक्षित है जिससे संबद्ध देश के विनिर्माण, उत्पादन या निर्यात पर प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडियां प्राप्त होती हों । अतः आपके लिए प्रत्येक कार्यक्रम को अभिज्ञात करना अपेक्षित है चाहे उस कार्यक्रम के अंतर्गत किसी उद्यम द्वारा कोई लाभ लिया गया हो अथवा नहीं ।
8. यदि संबद्ध देश की सरकार एक या उससे अधिक कार्यक्रमों को चलाने की जिम्मेवारी या उसका निर्देश किसी निजी निकाय को देती है तब भी प्रश्नों का उत्तर दिया जाना चाहिए।

क. अनुदान कार्यक्रम

ख. अधिमानी ऋण

ग. केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त आयकर कार्यक्रम विदेश निवेशित उद्यमों के लिए अधिमानी कर नीतियां

घ. प्रादेशिक सरकारों द्वारा अपनाए गए आयकर कार्यक्रम

ड. राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त अप्रत्यक्ष कर कार्यक्रम और आयात टैरिफ कार्यक्रम

च. सामान्य अवसंरचना से इतर वस्तु या सेवाओं का प्रावधान

छ. अन्य सब्सिडियां

खंड–घ

मानक प्रश्न अनुबंध

जांच के अधीन प्रत्येक स्कीम/कार्यक्रम के लिए कृपया निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं । सूचना उन सभी स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध कराई जाए जो जांच अवधि के किसी हिस्से के दौरान मौजूद रही थी, चाहे उनमें से कुछ स्कीमों को जांच अवधि के दौरान समाप्त कर दिया गया हो । इसके अलावा, कृपया प्रश्न के प्रत्येक भाग का उत्तर दें ।

क. इस स्कीम/कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी (उदाहरणार्थ कोई संघीय, प्रादेशिक या अन्य सरकारी एजेंसी या कोई अन्य संस्थान) का नाम और पता ।

ख. स्कीम/कार्यक्रम जब उसे शुरू किया गया की प्रकृति और उस स्कीम/कार्यक्रम के पीछे कार्यान्वयन प्राधिकारी की नीति का वर्णन करें । यह स्कीम/कार्यक्रम कैसे चलाया जाता है और इसका प्रचालन कैसे होता है ?

ग. स्कीम/कार्यक्रम के संबंध में संगत सरकारी एजेंसी या अन्य कार्यान्वयन प्राधिकारी द्वारा रखे गए रिकॉर्डों (उदाहरणार्थ उद्यम विशिष्ट फाइलें, बजट प्राधिकरण आदि) के प्रकारों के बारे में बताएं ।

घ. कार्यक्रम के लिए आवेदन प्रक्रिया का वर्णन करें और आवेदन प्रपत्र की एक रिक्त प्रति उपलब्ध कराएं । कृपया उस प्रक्रिया का भी वर्णन करें जिसके द्वारा आवेदन का विश्लेषण और अंततः उसे अनुमोदित या अस्वीकृत किया जाता है ।

ड. जांच अवधि के दौरान स्कीम/कार्यक्रम के प्रचालन का पूरा विवरण । इसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित सूचना शामिल होनी चाहिए ।

- इस स्कीम/कार्यक्रम के लिए पात्रता संबंधी मापदंड ।
- क्या पात्रता निर्यात निष्पादन अथवा घरेलू वस्तुओं के प्रयोग पर निर्भर करती है ।
- क्या पात्रता कतिपय तबकों और/या क्षेत्रों तक सीमित है ।
- क्या पात्रता किसी उद्यम या उद्यम समूह अथवा किसी उद्योग या उद्योग समूह तक सीमित है ? यदि हां, तो कृपया पात्र उद्यम या उद्योगों को स्पष्ट और विनिर्दिष्ट करें ।
- क्या पात्रता किसी तरह से विशिष्ट है । यदि हां, तो इसमें शामिल मापदंड बताएं। कृपया इस स्कीम/कार्यक्रम के अंतर्गत पात्रता के लिए और किसी लाभ को प्राप्त करने को शासित करने वाले मापदंड तथा प्रदत्त लाभ की राशि के बारे में बताएं ।
- क्या पात्रता मापदंडों को पूरा करने वाली सभी फर्मों को इस स्कीम/कार्यक्रम का लाभ मिल सकता है या प्रशासनिक प्राधिकारी विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं? यह दर्शाने हेतु साक्ष्य उपलब्ध कराएं कि जांच अवधि के दौरान किन आधारों पर आवेदनों को स्वीकार और अस्वीकार किया गया ।

- क्या कतिपय उद्यमों को इस कार्यक्रम की पहुंच से विशेष रूप से बाहर रखा गया है ? यदि हां, तो इस प्रकार बाहर रखने के आधारों, शर्तों और मापदंडों की जानकारी दें ।

च. यदि स्कीम/कार्यक्रम निर्यात निष्पादन या घरेलू वस्तुओं के प्रयोग पर निर्भर नहीं करता है, तो जांच अवधि के दौरान सरकार द्वारा दिए गए शुल्क, कर और अन्य वित्तीय लाभों की राशि का अलग–अलग ब्यौरा उपलब्ध कराएं ।

छ. सभी बाद के संशोधनों, यदि कोई हों, के साथ स्कीम/कार्यक्रम के प्रचालन पर लागू संगत अधिसूचना/विनियम की एक प्रति और कोई संबंधित प्रकाशित रिपोर्ट उपलब्ध कराएं ।

ज. जांच अवधि में संबंधित उत्पाद के लिए जांचाधीन उद्यमों के संबंध में निम्नलिखित सूचना का अनुरोध किया जाता है :

i. उद्यम का नाम

ii. उद्यम द्वारा दावा किए गए सभी निर्यातों और प्रशासन प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त वित्तीय लाभ की राशि

iii. उद्यम द्वारा संबंधित उत्पाद के निर्यातों के लिए दावा किए गए और प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त वित्तीय लाभ की राशि ।

iv. संबंधित उत्पाद के उत्पादन में उपयोग की गई निविष्टियों के आयातों पर वास्तव में प्रदत्त/देय कर/शुल्कों की दर और राशि

v. संबंधित उत्पाद के उत्पादन में उपयोग की गई निविष्टियों के आयातों पर प्रदत्त/देय कर/शुल्कों की दर और राशि परंतु जिनकी क्षतिपूर्ति किसी स्कीम/कार्यक्रम के अंतर्गत पहले से प्रदत्त ऋणों द्वारा की गई हो ।

vi. अन्य आयातों पर वास्तव में प्रदत्त/देय कर/शुल्कों की दर और राशि

vii. अन्य आयातों पर देय कर/शुल्कों की दर और राशि परंतु जिनकी क्षतिपूर्ति किसी स्कीम/कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदत्त ऋणों द्वारा की गई हो ।

viii. स्कीम/कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए प्रदत्त किसी आवेदन शुल्क का ब्यौरा !

झ. स्कीम/कार्यक्रम में किसी प्रत्याशित बदलाव के बारे में बताएं । स्कीम/कार्यक्रम को समाप्त किया जा रहा है तो उस अंतिम तारीख को बताएं जब तक कोई उद्यम स्कीम/कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदन या लाभ का दावा कर सकता है । किसी उद्यम द्वारा स्कीम/कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकने की अंतिम तारीख कब है ? यदि सकीम/कार्यक्रम वर्तमान जांच अवधि की शुरूआत से पहले समाप्त कर दिया गया है तो कृपया संगत साक्ष्य उपलब्ध कराएं ।

अनुदान अनुबंध

क. कृपया निम्नलिखित सूचना संबद्ध वस्तु के प्रत्येक उत्पादक और/या निर्यातक के लिए चार्ट प्रपत्र में उपलब्ध कराएं ।

1. सरकार द्वारा प्राधिकृत अनुदान की राशि
2. सरकार के प्राधिकार/अनुमोदन की तारीख
3. वास्तव में संवितरित राशि
4. वह प्रयोजन जिसके लिए अनुदान प्रदान किया गया था और
5. अनुदान को संवितरित किए जाने की तारीख । कृपया बताएं कि क्या अनुदान एकमुश्त राशि में दिया गया या अनेक संवितरणों में प्रदान किया गया ।

अल्पावधिक ऋण अनुबंध

यदि किसी स्कीम/कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पावधिक ऋण (एक वर्ष या उससे अधिक) प्रदान किया गया है और उस ऋण पर जांच अवधि के दौरान मूलधन या उस पर ब्याज दिया गया है और/या उसे माफ किया गया है तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें । यदि अल्पावधिक वित्तपोषण जो जांचाधीन है, विदेशी मुद्रा में दिया गया या यदि ब्याज दर विदेशी मुद्रा दर पर आधारित या अनुबंधित है तो कृपया उस विदेशी मुद्रा में वाणिज्यिक उधार की लागत बताएं और निम्नांकित प्रश्न ख और ग के उत्तर में उस मुद्रा में वाणिज्यिक ऋण से संबद्ध प्रभार बताएं ।

क. कृपया संबद्ध देश में अल्पावधिक वाणिज्यिक ऋण प्रदान करने वाले संस्थानों (उदाहरणार्थ बैंक, लीजिंग फर्म, दलाल, बीमा कंपनियां) की किस्म के बारे में बताएं । इसके अलावा, इन संस्थानों और उनकी ऋण संबंधी नीतियों को नियंत्रित/निर्देशित करने में सरकार की भूमिका स्पष्ट करें । प्रत्येक प्रकार के संस्थान के लिए विनिर्दिष्ट करें कि क्या ऋण घरेलू मुद्रा, विदेशी मुद्रा या दोनों में दिए जाते हैं ।

ख. कृपया जांच अवधि और पूर्ववर्ती 12 महीनों के लिए संबद्ध देश में प्रमुख राष्ट्रीय औसत अल्पावधिक ब्याज दर की जानकारी दें (स्रोत सामग्री की प्रतियों सहित) यदि कोई प्रमुख राष्ट्रीय औसत मौजूद नहीं है तो प्रत्येक किस्म के दीर्घावधिक वित्तपोषण के लिए जांच अवधि और पूर्ववर्ती 12 महीने हेतु संबद्ध देश में ब्याज दर की जानकारी दें और उनमें से प्रत्येक से ऋण की मात्रा को कुल बकाया अल्पावधिक ऋण के प्रतिशत रूप में बताएं ।

ग. सामान्य वाणिज्यिक कारोबार में ऋणदाताओं द्वारा प्रयुक्त अन्य प्रभारों या प्रथाओं जैसे वचनबद्धता शुल्क, प्रतिपूर्ति शेष, ऋण, मूलता शुल्क, कर, कमीशन, ऋण छूट समायोजित भुगतान कार्यक्रम या उन अपेक्षाओं (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) को विनिर्दिष्ट करें जिनसे किसी विशेष ऋणदाता संस्थान के जरिए किसी उद्यम के व्यापार का समस्त भाग या उसका प्रमुख हिस्सा संचालित होता है । सामान्य वाणिज्यिक वित्तपोषण की लागत के अलावा, ये अतिरिक्त प्रभार और प्रथाएं किस सीमा तक हैं ? प्रत्येक अतिरिक्त प्रभार की राशि बताएं ।

घ. जांच अवधि के दौरान किसी माफी या कोई मूलधन या ब्याज भुगतान को देने की तारीख और राशि के बारे में बताएं ।

ड. सभी मामलों में बताएं कि क्या ऋणों के लिए लागू दर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण वाले संस्थानों द्वारा अथवा निजी स्वामित्व वाले संस्थानों द्वारा तय की जाती है और क्या ऐसी दर सरकार द्वारा किसी अधिदेशित सीमा या अधिकतम सीमा के अधीन है ।

दीर्घावधिक ऋण अनुबंध

यदि कार्यक्रम के अंतर्गत दीर्घावधिक ऋण (एक वर्ष से अधिक) प्रदान किया गया है और उस ऋण पर जांच अवधि के दौरान मूलधन या ब्याज बकाया है तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें । यदि दीर्घावधिक वित्तपोषण जो जांचाधीन है, विदेशी मुद्रा में दिया गया या यदि दर विदेशी मुद्रा दर पर आधारित या अनुबंधित है तो कृपया उस विदेशी मुद्रा में वाणिज्यिक उधार की लागत बताएं और उस मुद्रा में वाणिज्यिक ऋण से संबद्ध प्रभार बताएं ।

क. कृपया संबद्ध देश में दीर्घावधिक वाणिज्यिक ऋण प्रदान करने वाले संस्थानों (उदाहरणार्थ बैंक, लीजिंग फर्म, दलाल, बीमा कंपनियां) की किस्म के बारे में बताएं । प्रत्येक प्रकार के संस्थान के लिए विनिर्दिष्ट करें कि क्या ऋण घरेलू मुद्रा, विदेशी मुद्रा या दोनों में दिए जाते हैं ।

ख. कृपया ऐसे प्रत्येक वर्ष जिसमें इस स्कीम/कार्यक्रम के अंतर्गत दीर्घावधिक ऋण अनुमोदित किया गया था तथा जिसका मूलधन अथवा ब्याज जांच अवधि के दौरान बकाया के लिए निम्नलिखित सूचना (स्रोत सामग्री की प्रतियों सहित) उपलब्ध कराएं।

ग. यदि ऋण स्थिर ब्याज दर पर है तो कृपया सरकारी ऋण के अनुमोदित होने के समय जांच के अधीन देश में अधिकांश फर्मों के लिए निजी वाणिज्यिक ऋणदाताओं से उपलब्ध दीर्घावधिक स्थिर ब्याज दर (दरों) की जानकारी दें । यदि यह आंकड़ा उपलब्ध न हो तो इसी अवधि के दौरान जांचाधीन देश में अधिकांश फर्मों के लिए निजी वाणिज्यिक ऋणदाताओं से उपलब्ध दीर्घावधिक अस्थिर ब्याज दर उपलब्ध कराएं । यदि यह आंकड़ा उपलब्ध न हो तो ऋण के अनुमोदित होने के समय संबद्ध देश में उपलब्ध अल्पावधिक वित्तपोषण के सभी प्रकारों, अल्पावधिक वित्तपोषण की कुल राशि में प्रदर्शित प्रत्येक प्रकार का प्रतिशत और जांच अवधि में प्रत्येक प्रकार के लिए संगत मासिक औसत ब्याज दर की जानकारी दें ।

घ. यदि ऋण अस्थिर ब्याज दर पर लिया गया है तो कृपया संदर्भाधीन ऋण के अनुमोदन के समय संबद्ध देश के अधिकांश उद्यमों के लिए निजी वाणिज्यिक ऋणदाताओं से उपलब्ध दीर्घावधिक अस्थिर ब्याज दर (दरों) को उपलब्ध कराएं । इसके अलावा, निजी वाणिज्यिक ऋणदाताओं से ऐसे ऋणों की दीर्घावधिक अस्थिर दर पर जांच अवधि के दौरान ब्याज दर (दरों) की जानकारी दें जिन्हें संदर्भाधीन ऋण के अनुमोदन के समय अनुमोदित किया गया था । यदि वाणिज्यिक ऋणदाताओं से दीर्घावधिक अस्थिर ब्याज दर उपलब्ध नहीं हो तो संदर्भाधीन ऋण के अनुमोदन के समय संबद्ध देश के अधिकांश उद्यमों के लिए निजी वाणिज्यिक ऋणदातों से उपलब्ध दीर्घावधिक स्थिर ब्याज दर (दरों) उपलब्ध कराएं । यदि यह आंकड़ा उपलब्ध न हो तो ऋण के अनुमोदित होने के समय संबद्ध देश में उपलब्ध

अल्पावधिक वित्तपोषण के सभी प्रकारों, अल्पावधिक वित्तपोषण की कुल राशि में प्रदर्शित प्रत्येक प्रकार का प्रतिशत और जांच अवधि में प्रत्येक प्रकार के लिए संगत मासिक औसत ब्याज दर की जानकारी दें ।

ड. सभी मामलों में बताएं कि क्या ऋणों के लिए लागू दर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण वाले संस्थानों द्वारा अथवा निजी स्वामित्व वाले संस्थानों द्वारा तय की जाती है और क्या ऐसी दर सरकार द्वारा किसी अधिदेशित सीमा या अधिकतम सीमा के अधीन है ।

च. कृपया संबद्ध देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा यथादस्तावेजित औद्योगिक बांडों पर आय के ब्यौरे उपलब्ध कराएं ।

छ. सामान्य वाणिज्यिक कारोबार में ऋणदाताओं द्वारा प्रयुक्त अन्य प्रभारों या प्रथाओं जैसे वचनबद्धता शुल्क, ऋण गारंटी शुल्क, प्रतिपूर्ति शेष, ऋण मूलता शुल्क, कर, कमीशन, ऋण छूट, समायोजित भुगतान कार्यक्रम या उन अपेक्षाओं (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) को विनिर्दिष्ट करें जिनसे किसी विशेष ऋणदाता संस्थान के जरिए किसी उद्यम के व्यापार का समस्त भाग या उसका प्रमुख हिस्सा संचालित होता है । सामान्य वाणिज्यिक वित्तपोषण की लागत के अलावा, ये अतिरिक्त प्रभार और प्रथाएं किस सीमा तक हैं ? प्रत्येक अतिरिक्त प्रभार की राशि बताएं और यह दर्शाएं कि क्या ऐसे प्रभारों को आपके द्वारा प्रदत्त दरों में शामिल किया गया है ।

ज. यदि इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदत्त किसी ऋण पर मूलधन या ब्याज जांच अवधि या उद्योग की परिसंपत्तियों के औसत उपयोगी जीवन (ए यू एल) की संगत पूर्ववर्ती अवधि के दौरान माफ किया गया या लिया गया है तो प्रत्येक माफी या ऋण लेने की तारीख और राशि के बारे में बताएं ।

ऋण गारंटी अनुबंध

क. ऐसे किसी अल्पावधिक ऋण जिसका मूलधन या ब्याज जांच अवधि के दौरान बकाया हो तथा जो गारंटीशुदा या बीमाकृत हो, के लिए कृपया ऊपर सूचीबद्ध अल्पावधिक ऋणों से संबंधित प्रश्नों में अनुरोध की गई सूचना उपलब्ध कराएं । ऐसे किसी दीर्घावधिक ऋण जिसका मूलधन या ब्याज जांच अवधि के दौरान बकाया हो तथा जो गारंटीशुदा या बीमाकृत हो, के लिए कृपया ऊपर सूचीबद्ध दीर्घावधिक ऋणों से संबंधित प्रश्नों में अनुरोध की गई सूचना उपलब्ध कराएं ।

कर कार्यक्रम अनुबंध

यदि संबद्ध वस्तु के उत्पादकों और/या निर्यातकों के लिए इस स्कीम/कार्यक्रम के अंतर्गत कर योग्य आय, देय करों के लिए ऋण, दिए गए करों से छूट, कर के भुगतान का आस्थगन, घाटों को आगे ले जाना, तीव्र मूल्यह्रास या अन्य कर संबंधी लाभ के संबंध में कटौती प्रदान की जाती है तो कृपया निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें ।

क. क्या कर योग्य आय से कटौती, देय कर के लिए ऋण, लागू कर से कोई छूट, लागू कर का आस्थगन, घाटों को आगे ले जाने, तीव्र मूल्यह्रास का परिणाम या अन्य किसी प्रकार का कर लाभ दिया जाता है ? कृपया स्पष्ट करें ।

ख. क्या यह कर लाभ पूंजीगत वस्तुओं की खरीद से संबद्ध है ? यदि हां, तो कृपया स्कीम का ब्यौरा उपलब्ध कराएं ।

ग. इस स्कीम/कार्यक्रम का प्रयोग करने वाले उद्यम उनके द्वारा दावा किए गए कर लाभ की गणना कैसे करते हैं ? कृपया स्पष्ट रूप से बताएं और एक रिक्त कर प्रपत्र का प्रयोग करके गणना का नमूना उपलब्ध कराएं ।

घ. यदि कोई उद्यम कर घाटे की स्थिति में है तो यह विशेष स्कीम/कार्यक्रम उसे कैसे प्रभावित करता है ?

ङ. यदि कर संबंधी घाटे इस स्कीम/कार्यक्रम के प्रयोग के जरिए सृजित होते हैं तो क्या उद्यम इन घाटों को आगे ले जा सकता है ? घाटों को आगे ले जाने के लिए कर संबंधी सामान्य प्रावधान क्या हैं ? कृपया कर संबंधी कानूनों का संगत भाग उपलब्ध कराएं ।

च. यदि स्कीम/कार्यक्रम ने लागू कर का आस्थगन शामिल है, तो कृपया निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं ।

i. कृपया स्कीम/कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमत आस्थगन अवधि बताएं ।

ii. यदि कर आस्थगन की अवधि एक वर्ष या कम है तो जांच अवधि के लिए संबद्ध देश में राष्ट्रीय औसत अल्पावधिक ब्याज दर उपलब्ध कराएं ।

iii. यदि कर आस्थगन की अवधि एक वर्ष से अधिक है तो कृपया **संबद्ध देश** में अधिकांश फर्मों के लिए निजी वाणिज्यिक ऋणदाताओं से उपलब्ध दीर्घावधिक स्थिर दर ऋणों पर राष्ट्रीय औसत ब्याज दर उपलब्ध कराएं । यह सूचना उस वर्ष के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिसमें बहुवर्षीय कर आस्थगन को पहले अनुमोदित किया गया अथवा उसका दावा किया गया ।

इक्विटी अनुबंध

कृपया जांच अवधि और जांच के अधीन प्रत्येक उद्यम के लिए परिसंपत्तियों के औसत उपयोगी जीवन से संगत पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रत्येक कथित इक्विटी निवेश या ऋण से इक्विटी में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं ।

क. प्रत्येक निवेश/परिवर्तन के प्राप्तकर्ता का नाम

ख. वह तारीख जब सरकार ने इक्विटी निवेश/परिवर्तन को अनुमोदित किया ।

ग. उस वर्ष में संबद्ध देश की राष्ट्रीय औसत दीर्घावधिक स्थिर ब्याज दर जिसमें इक्विटी निवेश/परिवर्तन को अनुमोदित किया गया था !

घ. इक्विटी निवेश की सही राशि और तारीख और अनुमोदन की प्रक्रिया तथा निधियों के वितरण में शामिल सरकारी एजेंसियों के नाम और पते !

ड. यदि निजी निवेशकों ने सरकार के निवेश के साथ–साथ निवेश नहीं किया तो यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी की स्थिति यह है कि भारी इक्विटी निवेश करने से पहले निजी निवेशक की यह सामान्य निवेश परिपाटी है कि वह संभावित आय की तुलना में संभावित जोखिम का मूल्यांकन करे । इसमें संभावित जोखिम–समायोजित आय निर्धारित करने के लिए पर्याप्त सूचना का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण और इसी प्रकार के जोखिम की वैकल्पिक निवेश अवसरों के साथ इस आय की तुलना इस प्रकार की जाए, का विश्लेषण शामिल है । निर्दिष्ट प्राधिकारी का दृष्टिकोण यह है कि इक्विटी निवेश से पहले किए गए ऐसे किसी वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के अभाव में इस बात की संभावना नहीं है कि जांचाधीन निवेश किसी निजी निवेशक की सामान्य निवेश परिपाटी के अनुसार हुआ हो ।

अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सरकार निम्नलिखित अनुरोध का पूर्ण उत्तर दे :

i. यदि सरकार ने प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच के अंतर्गत किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो वह कीमत बताएं जिस पर वह शेयर खरीदे गए, खरीदे गए शेयरों की संख्या और इन शेयरों की सामान्य बाजार कीमत बताएं ।

ii. कृपया उद्यम के संभावित वित्तीय कार्यनिष्पादन से संबंधित इक्विटी निवेश से पहले पूरे किए गए सभी व्यवहार्यता अध्ययनों, बाजार रिपोर्टों, आर्थिक पूर्वानुमानों, ऋण आकलनों अथवा इसी प्रकार के दस्तावेजों (उदाहरणार्थ सामान्य उद्योग बाजार अध्ययन, उद्योग विशिष्ट व्यापार प्रकाशन) को उपलब्ध कराएं । ये अध्ययन केवल जांचाधीन इक्विटी निवेश से भी सीधे संबंधित नहीं हो सकते हैं परंतु शुरूआती पूंजीनिवेश, शुरूआती प्रचालनों को वित्तपोषित करने हेतु पूंजी, प्रमुख विस्तार परियोजनाओं, ऋणों की वापसी, पुनर्गठन या किसी अन्य कार्रवाई से भी संगत हो सकते हैं जिससे उद्यम की लाभप्रदता प्रभावित होती हो ।

iii. इन अध्ययनों अथवा रिपोर्टों की मान्यताओं और निष्कर्षों का स्पष्ट रूप से वर्णन करें ।

iv. प्रत्येक अध्ययन के लिए स्पष्ट रूप से उस अध्ययन को करने वाले निजी संगठन अथवा सरकारी एजेंसी के बारे में बताएं । यदि किसी निजी संगठन ने अध्ययन किया है तो बताएं कि क्या उसे सरकार की मंजूरी थी । वह उद्देश्य भी बताएं जिसके लिए अध्ययन किया गया ।

v. प्रत्येक अध्ययन के लिए स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या वह सरकार की इक्विटी के निवेश से पहले सरकार और/या निजी निवेशकों के लिए उपलब्धता ।

च. सरकार द्वारा निजी स्रोतों से इक्विटी निवेश प्राप्त करने के लिए किए गए किन्हीं प्रयासों के बारे में बताएं । यदि सरकार ने निजी स्रोतों से उद्यम के लिए इक्विटी निवेश प्राप्त करने का प्रयास किया या लिया तो उस निवेश की संबंधित परिस्थितियां बताएं । सरकार और निजी पक्षकारों के बीच हुए किसी करार के बारे में बताएं और सभी संगत दस्तावेज (उदाहरणार्थ करार, चर्चा ज्ञापन आदि की प्रति) उपलब्ध कराएं ।

वस्तुओं/सेवाओं का प्रावधान अनुबंध

कृपया पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर दी गई प्रत्येक कथित वस्तु/सेवा के संबंध में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं ।

i. सरकार द्वारा प्रदत्त वस्तुओं/सेवाओं का सामान्य विवरण और उस प्रक्रिया के बारे में बताएं जिसके तहत वस्तुओं/सेवाओं ˙ दी जाती हैं। वस्तुओं/सेवाओं को प्रदान करने के लिए उत्तरदायी सरकारी कंपनी या सरकार के स्वामित्व वाले उद्यम का नाम बताएं ।

ii. जांच अवधि के दौरान प्रत्येक प्रतिवादी को प्रदत्त वस्तुओं/सेवाओं की मात्रा और मूल्य तथा सरकार द्वारा प्रभारित कीमत के बारे में बताएं । प्रदत्त की जा रही वस्तुओं/सेवाओं के लिए प्रयोज्य किसी कीमत सूची या दर सूची की प्रतियां उपलब्ध कराएं ।

iii. संबद्ध देश में प्रदत्त की जा रही वस्तुओं/सेवाओं के लिए बाजार का विवरण दें । वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादकों और वितरकों की संख्या और सरकारी सवामित्व, नियंत्रण और विनियमन सहित सरकार से उनके संबंध की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें । वस्तुओं/सेवाओं की खपत सामान्यतः कौन से उद्योग करते हैं ।

iv. सरकार द्वारा वस्तुओं/सेवाओं की कुल घरेलू खपत के लिए कितना प्रतिशत प्रदान किया जाता है । सरकार द्वारा संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग द्वारा वस्तुओं/सेवाओं का कितना प्रतिशत प्रदान किया जाता है ।

v. यदि संबद्ध देश में वस्तुओं/सेवाओं के वाणिज्यिक उत्पादक या वितरक हैं, तो जांच अवधि के दौरान ऐसे उद्यमों द्वारा वस्तुओं/सेवाओं के लिए प्रभारित कीमतों से संबंधित सूचना सरकार द्वारा प्रदत्त कीमतों की तुलना में उपलब्ध कराएं ।

vi. संबद्ध देश में जांचाधीन वस्तुओं/सेवाओं के आयात पर क्या कोई प्रतिबंध है । यदि हां, तो प्रतिबंध की प्रकृति बताएं । जांच अवधि के दौरान देश द्वारा आयातों की मात्रा और एफ ओ बी मूल्य उपलब्ध कराएं ।

vii. जांचाधीन वस्तुओं/सेवाओं के सरकारी प्रदाता की समग्र कीमत निर्धारण नीति के बारे में बताएं । यह संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग सहित विभिन्न उद्योगों की बिक्रियों के संबंध में किस प्रकार अलग है ? स्पष्ट करें कि संबद्ध देश में वस्तुओं/सेवाओं के वाणिज्यिक उत्पादकों या वितरकों की तुलना में यह कीमत निर्धारण नीति कैसे अलग है । जांचाधीन वस्तुओं/सेवाओं की बाजार कीमत निर्धारित/तय करने में सरकार की भूमिका स्पष्ट करें ।

viii. क्या ऐसे कोई व्यापारिक प्रकाशन हैं, जो संबद्ध देश के भीतर और विश्व बाजार में वस्तुओं/सेवाओं की कीमतें विनिर्दिष्ट करते हों ? जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश के भीतर और वैश्विक बाजारों में वस्तुओं/सेवाओं की कीमतों को सूचीबद्ध करते हुए इन प्रकाशनों के नमूना पृष्ठों के साथ इन प्रकाशनों की एक सूची उपलब्ध कराएं ।

ix. यदि संबद्ध देश में जांचाधीन वस्तुओं/सेवाओं का कोई वाणिज्यिक आपूर्तिकर्ता नहीं है, तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें :

क. दस्तावेज उपलब्ध कराएं कि क्या और किस सीमा तक सरकार द्वारा प्रभारित कीमत में सरकार की प्रचालन लागतें शामिल हैं और सरकार को एक तर्कसंगत आय सुनिश्चित करती हैं ।

ख. बताएं कि सरकार द्वारा प्रभारित कीमत कैसे निर्धारित होती है ।

ग. कृपया कीमत निर्धारण संबंधी मापदंड को विस्तार से बताएं जिसका प्रयोग इस कीमत के निर्धारण में होता है ।

घ. कृपया सरकार की प्रचालन लागतें, निवेश लागतें और आय के बारे में बताएं ।

X. जांचाधीन वस्तुओं/सेवाओं के उपभोक्ताओं की भिन्न–भिन्न श्रेणियों से सरकार द्वारा प्रभारित कीमतों का अलग–अलग ब्यौरा प्रदान करें । विभिन्न उद्योगों से प्रभारित कीमतों में यदि कोई अंतर है तो स्पष्ट करें ।

प्रमाण पत्र

अधोहस्ताक्षरी प्रमाणित करते हैं कि प्रश्नावली के उत्तर में यहां प्रदत्त समस्त सूचना उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार पूर्ण और सत्य है और यह कि किसी वास्तविक सूचना को छुपाया नहीं गया है और वह जानते हैं कि प्रस्तुत सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के अधीन है ।

________________ ________________

दिनांक प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

____

प्राधिकृत अधिकारी का नाम

____

प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम